अवैध कॉलोनियों की खेती • जयंतसेन धाम मंदिर के पास बिना अनुमति बनी सड़क की जांच पू

सागोद रोड पर बड़े भूखंड वाली कॉलोनियां जांच के घेरे में, अशोकनगर के पीछे दो अवैध कॉलोनी मिली

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कनेरी रोड, धोलावड़ रोड के बाद अशोक नगर के पीछे दो अवैध कॉलोनियां मिली हैं। राजस्व विभाग की रिपोर्ट आ गई है। जांच पूरी होने के बाद इन दोनों अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी है। एक कॉलोनी में रोड के साथ सीवर लाइन डाल दी थी, दूसरी पर मकान बनने लगे हैं।

उधर शिकायतें मिलने के बाद सागोद रोड की कॉलोनियों की जांच शुरू हो गई है। इनमें जयंतसेन धाम मंदिर के आसपास की चार से पांच कॉलोनियां घेरे में आ सकती हैं। यहां भूमाफिया ने खेती की सिंचित जमीन पर पंचायत की परमिशन की आड़ लेकर 120 से ज्यादा कटिंज काट दिए हैं। 2100 से 2500 रुपए वर्गफीट के ऊंचे दामों पर बेचे इन बड़े भूखंडों पर कई रसूखदारों ने करोड़ों लगाकर बंगले बना लिए हैं।

सात गुमटियां हटाई : निगम के अतिक्रमण दल ने अतिक्रमण करके रखी 7 गुमटियों को हटाया। कार्रवाई आंबेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउंड रोड, पॉवर हाउस रोड पर चली। पावर हाउस रोड से दुकानों के सामने रखा सामान जब्त किया।

कार्रवाई : रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाए 54 कच्चे मकानों को हटाया

अवैध शिवशंकर कॉलोनी के कच्चे मकान तोड़ती जेसीबी।

घटला पुलिया के पास अवैध रुप से कब्जा करके बनाए 54 कच्चे मकान व झोपड़ियों को हटाया। ये अवैध शिवशंकर नामक कॉलोनी रेलवे की जमीन पर बनी है। अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में प्लैट्स आवंटित हो चुके हैं। बावजूद ये पुराने कच्चे मकान छोड़ने को तैयार नहीं थे। जुलाई में नोटिस जारी करने के बाद किसी ने मकान खाली नहीं किए थे। मंगलवार आरपीए और जीआरपी पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करके सभी कच्चे मकान त दिए। अचानक हुई कार्रवाई को लेकर रहवासियों ने विरोध किया लेकि पुलिस बल के कारण उनकी एक नहीं चली। नाराज रहवासियों ने कु देर जावरा रोड पर चक्काजाम किया। सूचना मिलने पर औद्योगिक थ प्रभारी ओपी सिंह और रेलवे के इंजीनियर मौके पर पहुंच गए थे। बाद पुलिस ने चक्काजाम खुलवा दिया।

भूमाफियां में हड़कंप, दबाने की कोशिश तेज

अवैध कॉलोनियों को लेकर चल रही सख्त कार्रवाई को लेकर सागोद रोड के भूमाफिया में हड़कंप है। कॉलोनाइजरों ने राजनीतिक और अन्य पहुंच लगाते हुए मामले को दबाने की कोशिश तेज कर दी है। हालांकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के सख्त रवैए के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। इस वजह से कॉलोनाइजर दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं।

जानिए, प्रशासन द्वारा कब-कब कार्रवाई की गई

- **पहली** - 2 अक्टूबर को हुई थी। इसमें ऊंकाला रोड, बजरंग नगर, अर्जुननगर की चार जमीनों से बिना अनुमति अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया था।
- **दूसरी** - 11 नवंबर को कनेरी रोड पर हुई, सर्वे नंबर 872/2 में 2.75 हेक्टेयर में बनी कॉलोनियों में अवैधानिक रूप से बनाए कटिंज, सीसी रोड को तोड़ा था।
- **तीसरी** - 12 नवंबर को कनेरी रोड की दो अवैध कॉलोनियों का अतिक्रमण हटाया था। इनमें सर्वे नंबर 736/21/1/2 और सर्वे नंबर 863/1 पर बनी कॉलोनी की सीसी सड़क, बिजली के बोल व अन्य निर्माण हटाया।
- **चौथी** - 13 नवंबर धोलावड़ रोड स्थित सर्वे नंबर 773/3, 775/4, 776/1, 776/2 की 1.125 हेक्टेयर जमीन पर बिना परमिशन कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया। इसमें सीसी रोड और बाउंड्रीवाल शामिल हैं।

15 अवैध कॉलोनियों से 9 पर कार्रवाई

- अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे नंबर 534 और 538 स्थित जमीन पर बन कॉलोनी, यहां कॉलोनाइजर सीसी रोड और सीवर लाइन बना ली है।
- अशोक नगर के पीछे ही सर्वे नंबर 538 की जमीन 0.206 हेक्टेयर में बन रही कॉलोनी, यहां बेचे गए प्लाट पर कुछ मकान बन गए हैं।

सरकारी जमीन पर क्यों है धर्मस्थल, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कड़ाई से करवाने के लिए खुद शीघ्र स्वयं संज्ञान लेकर राज्यों को नोटिस जारी करेगा?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। आम जनता में चर्चा है तथा नईदुनिया के समाचार पत्र में दिनांक 11-8-2018 को पेज नंबर 18 पर प्रकाशित समाचार के अनुसार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से पूछा कि सरकारी जमीन, सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थल कैसे बन गए? चार सप्ताह में इसका जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह सवाल किया था।

प्रदेश में व देश में सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर बने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थलों की संख्या हजारों है लेकिन उन्हें हटाने की कारवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर लिया था। विदित हो कि 30 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूरे देश के राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से धर्मस्थल बने है, इन्हें हटाया जाए। इस तरह से नए निर्माण को सख्ती से रोकने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्यों के हाईकोर्ट को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर अवैध तरीके से जो धार्मिक ढांचे बनाए गए है वह आस्था का मामला नहीं है। लोग इसकी आड़ में पैसा बना रहे हैं।

अतः इस संबंध में आमजन की जनहित तथा देश हित में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह एवं सुझाव है कि इस संबंध में अपने निर्देशों (आदेशों) का कड़ाई से शीघ्र पालन करवाने के लिए स्वयं उच्चतम न्यायालय को खुद संज्ञान लेकर सभी राज्यों को इसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए कोर्ट के निर्देशों की अवमानना का नोटिस जारी करना होगा?

अंकलेसरिया शोरूम बिल्डिंग में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराया

(क्या जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम निगम के प्रशासक होने के नाते भ्रष्ट क्षेत्रिय निगम इंजीनियर को तुरंत निलंबित करेंगे?)

रतलाम। रतलाम-मंदसौर-नीमच से प्रकाशित होने वाले दैनिक अवन्तिका समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार तथा व्हाट्सएप पर ओम त्रिवेदी द्वारा जारी खबर के अनुसार शहर के व्यस्ततम क्षेत्र दो बत्ती पर अंकलेसरिया बिल्डिंग पर नगर निगम के दो इंजीनियरों के संवरक्षण में चल रहा अवैध निर्माण कार्य को निगम आयुक्त के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया जिससे शहर के बाशिंदों में यह विश्वास जागा कि प्रभावशाली धन्नासेठों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है। नागरिकों ने प्रशासन से आगे भी इस बिल्डिंग में नियमों को ताक में रखकर किए जा रहे कथित रेट्रोफिटिंग एवं अन्य अवैध कार्यों की जांच एवं कार्यवाही की मांग की है।

बताया जाता है कि निगम करीब तीन माह से अंकलेसरिया बिल्डिंग में निगम के दो भ्रष्ट इंजीनियरों की शह पर इस तीन मंजिला भवन में पिलर हटाने, फर्श उखाड़ने, होटल के कमरों को तोड़ने, छत को शिफ्ट करने जैसे अनेक अवैध निर्माण कार्य बिना अनुमति के बिल्डिंग के बाहर पर्दा तानकर अंदर निरंतर किए जा रहे थे।

क्षेत्र के सहायक यंत्री के मुंह पर चांदी का जूता पड़ने के बाद वे इस भवन में अवैध निर्माण करने की सलाह देते रहे? आश्चर्य है कि जिस इंजीनियर को इस तीन मंजिला विशाल भवन का नियम के विरूद्ध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी थी वह जेब गर्म होने के बाद इस धन्ना सेठ के सामने नतमस्तक हो गया आदि।

अब जनता की मांग है कि जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम खुद निगम के प्रशासक है अतः क्या वे निगम में बैठे भ्रष्ट इंजीनियरों के कार्यों की खुद अपनी निगरानी में जांच करवाकर इनको पद से हटाकर इनके खिलाफ पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार के तहत कार्यवाही कर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चलकर देश व नगर निगम में बैठे कई अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा एक ही जगह पर जमे हुए है को तत्काल प्रभाव से हटवाने तथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजकर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है? 21/11/2021

दुकान, मैरिज गार्डन, मॉल वालों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो जुर्माना लगेगा

रतलाम | जिले के सभी दुकान, मैरिज गार्डन, मॉल में काम करने वाले वर्कर को दोनों डोज लगवाना जरूरी है। निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा नहीं मिलता है तो दुकान, मॉल को 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना लगेगा। मैरिज गार्डन में काम करने वाले कैटरर्स दल ने यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो अब उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा।

जिले में 17 नवंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान होगा, मंगलवार को इसके लिए रणनीति बनी। 60 हजार वैक्सीन पूरे जिले में लगाए जाएंगे। सेकंड डोज पर ही फोकस रहेगा। अभियान के दौरान मोबाइल दल सड़क पर भ्रमण करके वैक्सीन की पूछताछ करेंगे जिसने वैक्सीन नहीं लगाई, उसको वैक्सीन लगाएंगे। जिले में 298 सेंटर बनाए हैं। सभी पंचायतों में वेक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं।

खुले घूम रहे नंदी : उठाकर फेंका

रतलाम, नप्र। निगम की मवेशी पकड़ो मुहिम को मवेशी ठेंगा बताकर सड़कों पर खुले रूप से घूम रहे है। बाजना बसस्टेंड पर यात्रियों की भीड़ में भी मवेशी अक्सर घूमते रहते है लेकिन निगम की पशु पकड़ों टीम को ये मवेशी नजर नहीं आते है जिससे यात्रियों के अलावा दुकानदार परेशान है। बीती शाम को बसस्टेंड पर घूम रहे नंदी ने हेयर सेलून के दुकानदार को दुकान के सामने से ही उठाकर फेंक दिया जिससे उन्हें चोट आई। दुकानदारों ने मवेशी पकड़ने की मांग की है।

4.11.16

अब वैक्सीन लगवा लेने में ही है भलाई...

सरकारी अस्पताल हो या शॉपिंग मॉल, टीका लगा है तो ही प्रवेश, बाल चिकित्सालय के गेट पर बैठी है टीम

अब तक 80% वैक्सीनेशन, प्रदेश के टॉप-8 शहरों में शामिल है रतलाम, एक-एक व्यक्ति को चेक कर रहे, तत्काल वैक्सीनेट भी कर रहे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

यदि आप अब तक वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने से बच रहे हैं, तो बता दें कि वैक्सीन लगवाने में ही भलाई है। क्योंकि अस्पताल हो या शॉपिंग माल दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। मंगलवार को बाल चिकित्सालय के गेट पर टीम बैठ गई, अस्पताल आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की। जिन ने दूसरा टीका नहीं लगवाया, उन्हें वैक्सीन लगाई। असर भी अच्छा रहा क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में ही 15 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया था।

अब तेजी से दूसरे डोज का वैक्सीनेशन 100% करने पर जोर दिया जा रहा है। लोग केंद्रों तक नहीं जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन की टीम को ही लोगों के पास तक पहुंचना पड़ रहा है। प्रशासन की यह पहल कारगर भी नजर आ रही है, क्योंकि शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स सहित अन्य स्थान जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां कई लोग ऐसे मिल रहे है, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। इधर, शहर में अहिंसा ग्राम रोड स्थित एक बड़े शॉपिंग मॉल सहित अन्य मॉल में भी बोर्ड लग गए है कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

अस्पताल के गेट पर इस तरह लोगों को रोका, वैक्सीन लगवाने के बाद अंदर भेजा।

नमकीन के व्यापारियों के यहां भी लगे बोर्ड

इधर, रतलामी नमकीन खरीदने वालों को भी वैक्सीन की याद दिलाई जा रही है। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने सभी नमकीन व्यापारियों से अपील की है। ज्यादातर व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों पर वैक्सीन लगवाने के बोर्ड लगवा लिए है।

ऐसी है प्रदेश में हमारी रैंकिंग, टॉप-8 में

शहर	दूसरा डोज
मुरैना	88%
रीवा	87%
जबलपुर	86%
दतिया	86%
उमरिया	85%
बालाघाट	83%
छिंदवाड़ा	81%
रतलाम	80%

शहर में 100% हो गया, जिले में अभी पहला डोज भी 6.42% बाकी

इधर, शहर में पहले डोज का वैक्सीनेशन 100% हो गया है। लेकिन, जिले में अभी 93.58% ही हुआ है, यानी 6.42% बाकी है। ऐसे ही सेकंड डोज जिले में 54.71% हुआ है, वहीं रतलाम शहर में 76.08% लोगों को दोनों टीके लग गए है। सबसे खराब प्रदर्शन सैलाना का है, यहां 97.60% लोगों को पहला डोज लगा है, वहीं, सिर्फ 31.37% लोगों को ही दूसरा डोज लगा।

शिवशंकर कॉलोनी में चली जेसीबी

रेलवे ने अपनी सीमा से हटाया अतिक्रमण

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

अरसे से रेलवे की सीमा में अतिक्रमण कर निवास कर रहे झुग्गी-झोपड़ी के रहवासियों को मंगलवार के दिन बेघर होना पड़ा। रेलवे की सीमा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आर पी एफ व औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने का बल मौजूद रहा। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की।

पटरी पार स्थित रेलवे की सीमा पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों का रेलवे प्रशासन ने सर्वे कर स्थान को चिन्हित कर लिया था। रेलवे प्रशासन की ओर से सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मंगलवार से रतलाम रेल मंडल ने अपनी सीमा में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का अभियान छेड़ दिया।

शिवशंकर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान लोगों को थोड़ा-बहुत विरोध भी देखने को मिला, लेकिन कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के चलते कुछ परिवारों ने झोपड़ी व कच्चे मकानों से अपना-अपना सामान स्वयं निकालकर बाहर रख लिया। रेलवे ने अपनी सीमा से अतिक्रमण तोड़ने से पहले झोपड़ियों की विद्युत सप्लाई भी काटी।

अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दयीकरण की शीघ्र होगी डीपीआर तैयार

9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने निगम आयुक्त झारिया के साथ किया स्थल का निरीक्षण

सिंहम रिपोर्टर ☐ रतलाम

अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार किये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ इंदौर के 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने स्थल का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल के श्रीमती श्रुति व्यास, सचिन चतुर्वेदी, रिमझिम, बिड़स पिलानी के राजीव गुप्ता को अमृत सागर तालाब के संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कराया। अमृत सागर तालाब का दल द्वारा किये गये सर्वे के तहत योजना में तालाब. संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन व सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरविन्द दशोत्तर, प्रभारी सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, झोन प्रभारी विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

अमृत सागर तालाब के संवर्धन, उन्नयन की डीपीआर बनेगी

9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने निगम आयुक्त के साथ किया स्थल निरीक्षण

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार किये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ इंदौर के 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने स्थल का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त ने 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल के श्रीमती श्रुति व्यास, सचिन चतुर्वेदी, रिमझिम, बिड़स पिलानी के राजीव गुप्ता को अमृत सागर तालाब के संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कराया। अमृत सागर तालाब का दल द्वारा किये गये सर्वे के तहत योजना में तालाब संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन व सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री अरविन्द दशोत्तर, प्रभारी सहायक यंत्री अनवर कुरशी, झोन प्रभारी विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

कोविड वैक्सीन महाअभियान आज

दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन में वर्कर बगैर वैक्सीन पाया गया तो फाइन के साथ दुकान भी बंद

प्रस्तुति न्यूज • रतलाम

राज्य शासन के निर्देश अनुसार रतलाम जिले में भी 17 नवंबर को कोविड-19 वैक्सीन महा अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार शाम बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की। अभियान दिवस पर 60 हजार वैक्सीन पूरे जिले में लगाए जाएंगे। सेकंड डोज पर पूरा फोकस रहेगा। अभियान के दौरान मोबाइल दल सड़कों, गलियों, मोहल्लों, बाजारों में भ्रमण करके वैक्सीन की पूछताछ करेंगे जिसने वैक्सीन नहीं लगाई, उसको वैक्सीन लगाएंगे।

यह सुनिश्चित किया गया है कि जिले में प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन, मॉल, जनरल स्टोर में काम करने वाले वर्कर दोनों डोज लगवाकर ही अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान यदि पाया गया कि वर्कर्स द्वारा दोनों डोज नहीं लगाए गए तो दुकान, माल प्रतिष्ठान 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना अलग से लगेगा। मैरिज गार्डन में काम करने वाले कैटरर्स दल द्वारा यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया तो उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाएगा।

इस बार अभियान में 298 सेंटर कार्य करेंगे। सभी जनपद पंचायतों में वेक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। गत महा अभियान में 50 हजार के विरुद्ध 35 हजार का लक्ष्य अर्जित किया गया था। इस बार महा अभियान में कलेक्टर ने सख्ती से सभी नोडल अधिकारियों को ताकीद की है कि निर्धारित लक्ष्य 60 हजार अर्जित होना चाहिए अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कार्य में लापरवाही बरतने पर इंजीनियर हो या बाबू कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। 17 नवंबर के महा अभियान के तहत रतलाम शहर में बस स्टैंड, अलकापुरी चौराहा, चांदनी चौक में विशेष रुप से वैक्सीनेशन दलों की तैनाती की जाएगी।

सुबह 7.30 बजे से दल तैनात हो जाएंगे। नगर निगम तथा राजस्व अधिकारी भी उक्त स्थानों पर तैनात किए गए हैं। बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को निर्देशित किया गया कि वे 17 नवंबर को बाजना जाकर वैक्सीनेशन की मीटिंग करें। डीपीएम डॉक्टर अजहर अली को सैलाना जाकर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

वैक्सीनेशन महाभियान में 298 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा

रतलाम। सीएमएचओ डॉ. ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में 17 नवंबर को वैक्सीनेशन महाभियान में रतलाम शहर में 47, रतलाम ग्रामीण में 57, सैलाना में 43, पिपलोदा में 31, जावरा में 45, बाजना में 40, आलोट में 35 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा।

जनसुनवाई में आए 65 आवेदन, अधिकारियों को निराकरण के निर्देश

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। जनसुनवाई में 65 आवेदन आए जिन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे ने जनसुनवाई

▸ शिक्षा, राजस्व सहित अन्य विभाग को आए आवेदन

की। आवेदकों की समस्या सुनी, निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम चौराना निवासी कु. रेणुका पंवार तथा शिवानी पंवार ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया ग्राम चौराना में निवासरत होकर शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. में अध्ययन करती हैं तथा ग्राम चौराना से विद्यालय में आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसलिए दोनों प्रार्थिया शासकीय कन्या छात्रावास आनन्द कालोनी में भर्ती होकर अपना अध्ययन करना चाहती हैं। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका को दोनों बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देने के निर्देश दिए।

कालीदास बैरागी निवासी गांव पंचेड ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी करीब 30 वर्षों से सर्वे क्रमांक 681 भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है तथा तहसील नामली में नामान्तरण हेतु आवेदन करने जाता है तो कहा जाता है कि जिलाधीश महोदय द्वारा दो बीसवा या उससे कम भूमि पर नामान्तरण पर रोक लगा रखी है। अत: प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरण करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। राम रहीम नगर निवासी अतुल राव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी 90 प्रतिशत दिव्यांग है और उसे सुनाई भी कम देता है। प्रार्थी ने कक्षा 5 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है तथा घर की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। प्रार्थी के पिता के पैर में एक्सीडेंट के कारण राड डली है जिससे वह मजदूरी करने में असमर्थ है। प्रार्थी के माता जैसे-तैसे मजदूरी कर परिजनों की परवरिश कर रही है। अत: प्रार्थी को कहीं पर भी नौकरी दे दी जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। प्रार्थी के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रुप में कार्य पर रखने हेतु निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए गए।

पठान टोली जावरा निवासी आकिल शाह ने बताया कि प्रार्थी को मुगलपुरा कब्रिस्तान, तकिया पठान टोली कब्रिस्तान तथा हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान एवं ख्वाजा अबू सईद कब्रिस्तान मुतवल्ली व्यवस्था हेतु 6 सितम्बर 2014 को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी का नाम देवस्थान डायरेक्ट्री में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी को शासन द्वारा दिया जाने वाला मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी रेवाशंकर राव ने बताया कि प्रार्थी की भूमि रतलाम मार्ग पर निर्मित होने वाली पुलिया से 300 फीट अन्दर है तथा उसके खेत पर आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने से काफी दिक्कत का सामना करना पड रहा है। एक्सप्रेस वे के निर्माण के अन्तर्गत चेनेज नं. 107, 300 पर स्थित भूमि पर भी रास्ता नहीं होने से कृषि उपकरणों को अन्य किसानों के खेतों से होकर ले जाना पडता है जिससे कई बार विवादित स्थितिया निर्मित हो जाती हैं। अत: खेत तक आने-जाने के लिए रास्ता निकाला जाए। प्रार्थी की समस्या का निराकरण करने के लिए प्रकरण एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है।

लेटलतीफी का खुलासा होने से मचा रहा हड़कंप:अब संबल पोर्टल बंद, डिजिटल सिग्नेचर के इंतजार में एनआईसी में बैठे रहे अफसर

रतलाम। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में गरीब परिवारों को समय पर सहायता राशि नहीं देने का मामला राजधानी तक पहुंच गया है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया तक शिकायत पहुंचा दी है।

उधर लेटलतीफी का खुलासा होने के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा रहा। योजना से जुड़े कर्मचारी दिनभर कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष में बैठकर ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर आने का इंतजार कर रहे, जो शाम तक नहीं आया।

उधर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आयुक्त सोमनाथ झारिया को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। इसमें एक समस्या और आ गई है। बुधवार से बंद संबल पोर्टल गुरुवार को भी चालू नहीं हो पाया हैं। बता दें कि संबल योजना में मृत्यु वाले 9 गरीब परिवारों को 27 सितंबर को मुख्यमंत्री ने सहायता राशि जारी की थी। डिजिटल सिग्नेचर बंद होने से नगर निगम उसका अब तक भुगतान नहीं कर पाया है।

डिजिटल सिग्नेचर में दिक्कत

दरअसल डिजिटल सिग्नेचर मध्यप्रदेश में सिर्फ दो कंपनी बनाती है। इनमें एक पेंटागन और दूसरी स्वान है। संबल योजना में राशि भुगतान करने वाले अफसर ने स्वान कंपनी का बना रखा है, जो बंद हो गया। इसी कंपनी का एक डोगल उनके पास पहले से हैं। अब कंपनी तीसरा नहीं बना रही। इसलिए बंद हो चुके डोंगल को ही फिर से चालू करने की कवायद चल रही है। यह प्रोसेस बहुत ज्यादा तकनीकी होने से देरी हो रही है।

कलेक्टर ने 65 की समस्या सुनकर किया निराकरण

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम में आवेदकों को नहीं मिले अधिकारी

कलेक्ट्रेट के विपरीत नगर निगम में जनसुनवाई में लापरवाही देखने को मिली। शुरुआत में एक महिला अधिकारी कुछ देर आकर बैठी, फिर चली गई। समस्या लेकर आए आवेदक कर्मचारियों को ही आवेदन देकर चले गए। किसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

आमजन की समस्या सुनने के लिए मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 65 आवेदकों से बात की। परेशानी जानकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे मौजूद रहीं। चौराना की रेणुका पंवार, शिवानी पंवार ने बताया शासकीय नवीन कन्या उमावि में पढ़ती है। स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। इसलिए आनंद कॉलोनी स्थित शासकीय कन्या छात्रावास में भर्ती होना चाहती है। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका को प्रवेश देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचेड़ के कालीदास बैरागी ने बताया तीस सालों से सर्वे नंबर 681 पर मकान बनाकर रह रहा हूं। नामली तहसील द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा।

रतलाम नगर पालिक निगम द्वारा सड़कों के पेचवर्क के नाम पर जारी करीब 70 लाख का टेंडर सड़कों की रिपेयरिंग के बजाय फाइलों में ही पूरा (दफन) होता दिखाई दे रहा है जबकि जिला कलेक्टर नगर निगम के प्रशासक है?

रतलाम। आम जनता में चर्चा है कि जिस प्रकार बरसात में सड़कों की हालत सुधारने के नाम पर करीब 40 लाख का सड़कों की रिपेयरिंग के नाम पर टेंजर जारी किया था का कार्य पूरा नहीं हुआ परंतु निगम के जवाबदारों ने आधी-अधूरी दिखावे के नाम पर कार्य कर शायद रिपेयरिंग कार्य पानी में बह गया (खराब) होना बताकर फाइलों में ही पूरा दिखाकर भ्रष्टाचार में सड़क की खराब हालत सुधारने के नाम पर करीब 70-75 लाख का पेचवर्क के नाम पर टेंडर निकालकर दो बत्ती (फ्रीगंज) चौराहे के वहां शुभारंभ सिटी इंजीनियर व ब्रजेश कुशवाह उपयंत्री द्वारा कार्य का उदघाटन किया था, परंतु उसके बाद कार्य बंद सा हो गया और जनता को ऐसा लगता है कि सड़क रिपेयरिंग के नाम पर एक झलक दिखाकर कहीं ऐसा न हो कि ये 70-75 लाख भी शायद फाइलों में ही दफन होकर रिपेयरिंग काम पूरा हो जाए? जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम वर्तमान में नगर निगम के प्रशासक है, अतः उनको इस तरह के कार्यों पर पूरी सतर्कता से निगरानी (पकड़) रखना होगा नहीं तो उनके ऊपर इसकी जवाबदारी आ सकती है?

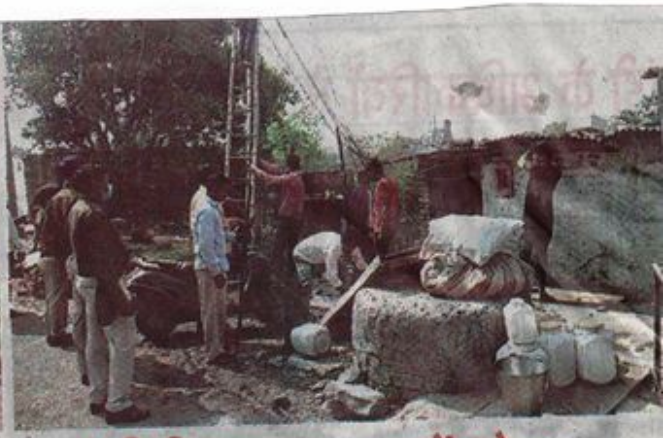

करीब 60 ये ज्यादा मकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें तोड़ा

रेलवे ने शिवशंकर कॉलोनी में बने मकान तोड़े, अपनी सीमा से हटाया अतिक्रमण

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

अरसे से रेलवे की सीमा में अतिक्रमण कर निवास कर रहे शिवशंकर कालोनी के रहवासियों के आशियाने पर रेलवे ने जेसीबी का पंजा चला दिया। रेलवे की सीमा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ व औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने का बल मौजूद था। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी बनने के बाद यहां के रहवासियों को वहीं शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बाकी बचे हुए लोगों को रजिस्ट्री नही होने के कारण फ्लेट की चाबी नहीं मिली, जिसके कारण वे लोग यहीं रह रहे थे, मंगलवार को रेलवे ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 ये ज्यादा मकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हे तोड़ दिया। इस दौरान रेलवे ने सबसे पहले यहां की विद्युत सप्लाई बंद कर दी थी, वहीं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। पटरी पार स्थित रेलवे की सीमा पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों का रेलवे प्रशासन ने सर्वे कर स्थान को चिह्नित कर लिया था।

रेलवे प्रशासन की ओर से सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मंगलवार से रतलाम रेल मंडल ने अपनी सीमा में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का अभियान छेड़ दिया। शिवशंकर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान लोगों को थोड़ा-बहुत विरोध भी देखने मिला, लेकिन कार्रवाई के दौरान बड़ी स में पुलिस बल की तैनाती के चलते परिवारों ने झोपड़ी व क%चे मकान अपना-अपना सामान स्वयं निकालकर रख लिया। रेलवे ने अपनी सीम अतिक्रमण तोडने से पहले झोपडिय विधुत सप्लाई भी काटी। इस दौरान निवास करने वाले लोगों ने चक्काजा किया, लेकिन कुछ देर बाद यह समा गया।

कर्मचारी वैक्सीन लगाए बगैर मिले तो जुर्माना

कोविड वैक्सीन महाअभियान आज, 60 हजार टीके लगाने का लक्ष्य

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में भी बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन महाअभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार शाम बैठक आयोजित कर समीक्षा की। अभियान दिवस पर 60 हजार वैक्सीन पूरे जिले में लगाए जाएंगे। सेकंड डोज पर पूरा फोकस रहेगा। अभियान के दौरान मोबाइल दल सड़कों, गलियों, मोहल्लों, बाजारों में भ्रमण करके पूछताछ कर जिसने वैक्सीन नहीं लगाई, उसको वैक्सीन लगाएंगे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन, माल, जनरल स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी दोनों डोज लगवाकर ही अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहें। निरीक्षण के दौरान यदि पाया गया कि कर्मचारी द्वारा दोनों डोज नहीं लगाए गए तो दुकान, माल प्रतिष्ठान एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना अलग से लगेगा। इस बार अभियान में 298 सेंटर कार्य करेंगे। सभी जनपद पंचायतों में वेक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। गत महा अभियान में 50 हजार के

विरुद्ध 35 हजार का लक्ष्य अर्जित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्य में लापरवाही बरतने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

17 नवंबर के महाअभियान के तहत रतलाम शहर में बस स्टैंड, अलकापुरी चौराहा, चांदनी चौक में विशेष रुप से वैक्सीनेशन दलों की तैनाती की जाएगी। सुबह 7:30 बजे से दल तैनात हो जाएंगे। नगर निगम तथा राजस्व अधिकारी भी उक्त स्थानों पर तैनात किए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे को निर्देशित किया गया कि वे बुधवार को बाजना जाकर वैक्सीनेशन की मीटिंग करें। डीपीएम डाक्टर अजहर अली को सैलाना जाकर मानीटरिंग के निर्देश दिए गए।

जिले में 298 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा

रतलाम। जिले में बुधवार को वैक्सीनेशन महाभियान में रतलाम शहर में 47, रतलाम ग्रामीण में 57, सैलाना में 43, पिपलोदा में 31, जावरा में 45, बाजना में 40, आलोट में 35 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। रतलाम शहर में शिवनगर प्राथमिक विद्यालय, कम्युनिटी हाल गांधी नगर, महर्षि दयानंद वैदिक इंदिरा नगर, गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, कम्युनिटी हाल अलकापुरी पूर्व (कोविशील्ड), मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, प्राथमिक विद्यालय बरबड़, रेडक्रास भवन विरियाखेड़ी, बोधि स्कूल डोंगरे नगर, कम्युनिटी हाल जवाहर नगर, मांगलिक भवन सुभाष नगर, आइएमए हाल गोशाला रोड पूर्व, काश्यप हाल सभागृह सागोद रोड, शासकीय विद्यालय ईश्वर नगर, मोहन टाकीज, राधाकृष्ण स्कूल दीनदयाल नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर, ज्योतिनगर कान्वेंट स्कूल बालाजी नगर, माहेश्वरी धर्मशाला कसेरा बाजार, हकिमवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र, अशोकनगर मदरसा, मोचीपुरा मस्जिद के

पास मदरसा, दिलीपनगर स्वास्थ्य केंद्र, जमातखाना शैरानीपुरा, अनाज मंडी मह रोड, टीआइटी रोड स्वास्थ्य केंद्र, रामेश्वर मंदिर जावरा रोड, डोसीगांव स्कूल, कालिका माता मंदिर पूर्व, एमसीएच भवन पूर्व, कुरैशी मंडी मदरसा, जिला चिकित्सालय, सब्जी मंडी सैलाना बस स्टैंड पर कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। रतलाम शहर के एमसीएच भवन पश्चिम, कालिका माता मंदिर पश्चिम, कम्युनिटी हाल अलकापुरी पश्चिम, आइएमए हाल गौशाला रोड पश्चिम पर कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा।

निगम का दूसरे दिन भी जारी रहा सड़क चौड़ा करने का अभियान

एक तरफ स्ट्रीट वैंडर योजना में कर्ज, दूसरी तरफ नगर निगम वाले हटा रहे

पत्रिका डेटा डिकोडेड

रतलाम. एक तरफ राज्य सरकार युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्ट्रीट वैंडर योजना में कर्ज दे रही है दूसरी तरफ शहर में रोड किनारे कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को नगर निगम द्वारा हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। रोटरी गार्डन के करीब सब्जी विक्रेताओं को मंगलवार दोपहर हटा दिया गया। जब इनको हटाया गया तो चक्काजाम कर दिया। बाद में पुलिस ने इनको हटाया। अब तक स्ट्रीट वैंडर योजना में 2105 युवाओं को नगर निगम ने कर्ज उपलब्ध कराया है।

दोपहर करीब 12 बजे बाद नगर निगम का लोकनिर्माण, राजस्व विभाग का अमला रोटरी गार्डन क्षेत्र में पहुंचा व सब्जी का विक्रय करने वालों को हटा दिया गया। विरोध में सब्जी विक्रेता रोड पर ही चक्काजाम करके बैठ गए। इनका कहना था कि बाजार क्षेत्र में रोड पर जो लोग कारोबार करते हैं, उनको हटाने के लिए अब तक कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन छोटे लोग को हटाने बार - बार आ जाते है। बाद में सभी लोग कलेक्टर कार्यालय गए तो इनको साफ कह दिया गया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके बाद भी नगर निगम जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। बाद में सभी निगम कार्यालय गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। बता दे कि सोमवार को शहर में लोकेंद्र भवन रोड से 12 दुकानदारों को निगम ने हटाया था। मंगनवार को रोटरी गार्डन क्षेत्र से सब्जी विक्रेताओं को हटाया गया है।

बता दे कि संकल्प से सिद्धि योजना अंतर्गत शहर में नगर निगम के सहयोग से पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त मिलता है। ऐसे लोग जो पहली बार का लिया कर्ज जमा कर चुके है, उनको दूसरी बार कर्ज लेने की पात्रता रहती है।

फैक्ट फाइल

- अब तक कुल कर्ज दिया - 2105 हितग्राही
- 10 हजार का कर्ज दिया 2025 हितग्राही को
- 20 हजार का कर्ज दिया 80 हितग्राही को
- समूह को दिया 3 समूह में 40 हितग्राही को

पथ विक्रेता व रोड पर किया गया अतिक्रमण दो अलग विषय है। पथ विक्रेता वो है जो घुमकर अपने सामान की बिक्री करता है। जिनको हटाया गया, वो स्थायी रुप से कब्जा किए हुए है। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 65 आवेदन आए, संबंधित अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। जनसुनवाई में 65 आवेदन आए जिन पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने जनसुनवाई की। आवेदकों की समस्या सुनी, निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम चौराना निवासी कु. रेणुका पंवार तथा शिवानी पंवार ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया ग्राम चौराना में निवासरत होकर शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. में अध्ययन करती हैं तथा ग्राम चौराना से विद्यालय में आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसलिए दोनों प्रार्थिया शासकीय कन्या छात्रावास आनन्द कालोनी में भर्ती होकर अपना अध्ययन करना चाहती हैं। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका को दोनों बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देने के निर्देश दिए।

कालीदास बैरागी निवासी गांव पंचेड ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी करीब 30 वर्षों से सर्वे क्रमांक 681 भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है तथा तहसील नामली में नामान्तरण हेतु आवेदन करने जाता है तो कहा जाता है कि जिलाधीश महोदय द्वारा दो बीसवा या उससे कम भूमि पर नामान्तरण पर रोक लगा रखी है।

अतः प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरण करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। राम रहीम नगर निवासी अतुल राव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी 90 प्रतिशत दिव्यांग है और उसे सुनाई भी कम देता है। प्रार्थी ने कक्षा 5 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है तथा घर की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। प्रार्थी के पिता के पैर में एक्सीडेंट के कारण राड डली है जिससे वह मजदूरी करने में असमर्थ है। प्रार्थी के माता जैसे-तैसे मजदूरी कर परिजनों की परवरिश कर रही है। अतः प्रार्थी को कहीं पर भी नौकरी दे दी जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। प्रार्थी के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रुप में कार्य पर रखने हेतु निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए गए।

पठान टोली जावरा निवासी आकिल शाह ने बताया कि प्रार्थी को मुगलपुरा कब्रिस्तान, तकिया पठान टोली कब्रिस्तान तथा हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान एवं ख्वाजा अबू सईद कब्रिस्तान मुतवल्ली व्यवस्था हेतु 6 सितम्बर 2014 को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी का नाम देवस्थान डायरेक्ट्री में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी को शासन द्वारा दिया जाने वाला मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी रेवाशंकर राव ने बताया कि प्रार्थी की भूमि रतलाम मार्ग पर निर्मित होने वाली पुलिया से 300 फीट अन्दर है तथा उसके खेत पर आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने से काफी दिक्कत का सामना करना पड रहा है। एक्सप्रेस वे के निर्माण के अन्तर्गत चेनेज नं. 107, 300 पर स्थित भूमि पर भी रास्ता नहीं होने से कृषि उपकरणों को अन्य किसानों के खेतों से होकर ले जाना पडता है जिससे कई बार विवादित स्थितिया निर्मित हो जाती हैं अतः खेत तक आने-जाने के लिए रास्ता निकाला जाए। प्रार्थी की समस्या का निराकरण करने के लिए प्रकरण एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है।

रेलवे ने अपनी सीमा से हटाया अतिक्रमण

रतलाम। अरसे से रेलवे की सीमा में अतिक्रमण कर निवास कर रहे झुग्गी-झोपड़ी के रहवासियों को मंगलवार के दिन बेघर होना पड़ा। रेलवे की सीमा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ व औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने का बल मौजूद रहा। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की। पटरी पार स्थित रेलवे की सीमा पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों का रेलवे प्रशासन ने सर्वे कर स्थान को चिन्हित कर लिया था। रेलवे प्रशासन की ओर से सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मंगलवार से रतलाम रेल मंडल ने अपनी सीमा में आने वाले

रेलवे पटरी के किनारे अवैध आवास जेसीबी से तोड़े

130 का लक्ष्य, पहले दिन 70 मकान तोड़े

पत्रिका सिटी हैपनिंग

80 हजार वर्गफीट भूमि को कराया खाली

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के जावरा फाटक पार क्षेत्र की रेलवे पटरी के किनारे बने हुए शिवशंकर कॉलोनी के 130 आवासों में से 70 को रेलवे ने जेसीबी की मदद से नेस्तनाबूद कर दिए। शेष आवासों पर जेसीबी का पंजा बुधवार को चलेगा। जुलाई माह में रेलवे ने इन आवास में रहने वालों को नोटिस दिए थे। इसके बाद तीन बार तोड़ने गए, लेकिन हर बार एक पखवाड़े की समय सीमा देकर वापस आ गए थे। जिनको हटाया गया, उन सभी को डोसीगांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स में भेजा गया है। पहले दिन रेलवे ने करीब 80 हजार वर्गफीट भूमि से अतिक्रमण को खाली कराया है।

10 बजे पहुंचे जेसीबी लेकर

सुबह करीब 11 बजे रेलवे के कार्य विभाग के अधिकारी आरपीएफ, जीआरपी व औद्योगिक थाना पुलिस लेकर दल बल के साथ पहुंचे। यहां पर सभी को पूर्व में जारी किए नोटिस का हवाला देकर 30 मिनट का समय देकर आवास खाली करने को कहा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर कॉलोनी में अफरा - तफरी मच गई। कुछ लोग बातचीत करने व मध्यस्थता करने आए, लेकिन रेलवे अधिकारी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद दोपहर 12 बजे से जेसीबी आवास पर चलना शुरू हो गई।

पंखा, पतरा खोला गया

जब शिवशंकर कॉलोनी के रहवासियों को यह भरोसा हो गया कि अब आवास टूटेंगे तो घर के अंदर के पंखे से लेकर बिजली सहित पतरे खोलना शुरू कर दिए। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने रेलवे की कार्रवाई का विरोध करते हुए चक्काजाम किया, लेकिन इनको पांच मिनट में पुलिस ने सख्ती से उठा दिया। इस दौरान जिनके आवास थे, उन्होंने अपना जब पूरा सामान निकाल लिया तो इनको रेलवे के वाहन में डोसीगांव स्थित पीएम आवास योजना के फ्लैट्स में भेजा गया।

70 के लिए लगे इतने ही राउंड

एक - एक आवास में से पंखा, ट्यूबलाइट, कूलर, पानी की मोटर, टेलिविजन सेट आदि सहित सिलेंडर आदि गृहस्थी के सामान को ले जाने में ट्रक से भेजा गया। इसके लिए जितने आवास से अतिक्रमण हटाया गया, उतने ही राउंड ट्रक को लगे। रेलवे ने पहले दिन 70 आवास को तोड़ते हुए 80 हजार वर्गफीट भूमि पर अपना कब्जा लिया है।

जारी रहेगा अभियान

रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत मंगलवार से हुई है। पहले दिन 70 आवास हटाए गए है। अभियान को जारी रखा जाएगा।

- खेमराज मीणा, मंडल रेलवे प्रवक्ता

दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन में अब कोई भी वर्कर बगैर वैक्सीन मिला तो होगी कार्रवाई, फाइन के साथ दुकान भी बंद

रतलाम। जिले में 17 नवंबर को कोविड-19 वैक्सीन महाअभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार शाम बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की। अभियान दिवस पर 60 हजार वैक्सीन पूरे जिले में लगाए जाएंगे। सेकंड डोज पर पूरा फोकस रहेगा। अभियान के दौरान मोबाइल दल सड़कों, गलियों, मोहल्लों, बाजारों में भ्रमण करके वैक्सीन की पूछताछ करेंगे जिसने वैक्सीन नहीं लगाई, उसको वैक्सीन लगाएंगे।

यह सुनिश्चित किया गया है कि जिले में प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन, मॉल, जनरल स्टोर में काम करने वाले वर्कर दोनों डोज लगवाकर ही अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान यदि पाया गया कि वर्कर्स द्वारा दोनों डोज नहीं लगाए गए तो दुकान, माल प्रतिष्ठान 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना अलग से लगेगा। मैरिज गार्डन में काम करने वाले कैटरर्स दल द्वारा यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया तो उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इस बार अभियान में 298 सेंटर कार्य करेंगे। सभी जनपद पंचायतों में वेक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। गत महा अभियान में 50 हजार के विरुद्ध 35 हजार का लक्ष्य अर्जित किया गया था। इस बार महा अभियान में कलेक्टर ने सख्ती से सभी नोडल अधिकारियों को ताकीद की है कि निर्धारित लक्ष्य 60 हजार अर्जित होना चाहिए अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कार्य में लापरवाही बरतने पर इंजीनियर हो या बाबू कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।

बुधवार को महा अभियान के तहत रतलाम शहर में बस स्टैंड, अलकापुरी चौराहा, चांदनी चौक में विशेष रुप से वैक्सीनेशन दलों की तैनाती की जाएगी। सुबह 7.30 बजे से दल तैनात हो जाएंगे। नगर निगम तथा राजस्व अधिकारी भी उक्त स्थानों पर तैनात किए गए हैं। बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को निर्देशित किया गया कि वे 17 नवंबर को बाजना जाकर वैक्सीनेशन की मीटिंग करें। डीपीएम डॉक्टर अजहर अली को सैलाना जाकर मानिटरिंग के निर्देश दिए गए।

आज महाभियान में 298 केंद्रों पर वैक्सीनेशन

सीएमएचओ डॉ. ननावरे ने बताया कि जिले में 17 नवंबर को वैक्सीनेशन महाभियान में रतलाम शहर में 47, रतलाम ग्रामीण में 57, सैलाना में 43, पिपलोदा में 31, जावरा में 45, बाजना में 40, आलोट में 35 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर में शिवनगर प्राथमिक विद्यालय, कम्युनिटी हॉल गांधी नगर, महर्षि दयानंद वैदिक इंद्रा नगर, गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, कम्युनिटी हॉल अल्कापुरी पूर्व, मार्निंग स्टार स्कूल इंद्रा नगर, प्राथमिक विद्यालय बडबड, रेडक्रास भवन विरियाखेडी, बोधि स्कूल डोंगरे नगर, कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, मांगलिक भवन सुभाष नगर, आईएमए हॉल गौशाला रोड पूर्व, काश्यप हॉल सभागृह सागोद रोड, शासकीय विद्यालय ईश्वर नगर, मोहन टॉकीज, राधाकृष्ण स्कूल दीनदयाल नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर आदि स्थानों पर लगाए जाएंगे।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का रोका वेतन

रतलाम। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर स्पॉट फाईन कार्यवाही में लापरवाही बरतने व तय लक्ष्य के अनुसार स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगमायुक्त के निर्देशानुसार दल के समस्त कर्मचारियों का माह नवम्बर का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। निगम पदाधिकारियों के अनुसार शहर में दुकानों, घरों के सामने व खुले स्थानों पर कचरे एवं गंदगी के ढेर की शिकायत लगातार मिल रही हैं। लगातार शिकायतों के बाद स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी विराट मेहरा, राकेश लालावत, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट का माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

बगैर वैक्सीन के नहीं ले पाएंगे अब नमकीन का चटकारा

पत्रिका सोशल प्राइड

वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए आगे आए शहर के कारोबारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. वैक्सीनेशन के प्रति जागरुकता के लिए नगर के मिठाई नमकीन कारोबारी आगे आए हैं। वे दुकान पर आने वाले ग्राहकों से पूछ रहे हैं कि आपने दोनों वैक्सीन लगवाए की नहीं। अगर आप नमकीन खरीदना चाहते हैं तो आप दोनों वैक्सीन के डोज लगवा लें। नहीं तो नमकीन नहीं दे पाएंगे। जागरूकता के लिए उन्होंने अपनी दुकान पर सूचना भी लगाई हैं।

रतलाम को शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन वाला शहर बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रखा है। इसके साथ ही वे व्यापारियों से भी इसमें सहयोग करने आग्रह कर रहे हैं। इसको लेकर नगर के कुछ मिठाई नमकीन कारोबारी आगे आए हैं।

90% कह रहे हमने दोनों टीके लगवा लिए

खेरादीवास में स्थित गेलड़ा नमकीन के संचालक दिलीप व मुकेश गेलड़ा ने बताया कि नगर शत प्रतिशत वैक्सीनेशन में शामिल हो। इसके लिए प्रशासन का सहयोग करते हुए हम ग्राहकों से दोनों डोज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्हें डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान में जिन ग्राहकों से जानकारी ली। उसमें 90 प्रतिशत लोगों ने दोनों डोज लगवाना बता रहे हैं।

दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन में बिना वैक्सीन कोई मिला तो फाइन के साथ होगी दुकान बंद

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति त की। इस दौरान महा अभियान के तहत 60 हजार वैक्सीन पूरे जिले में लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 17 नवंबर को वैक्सीनेशन महाभियान में रतलाम शहर में 47, रतलाम ग्रामीण में 57, सैलाना में 43, पिपलोदा में 31, जावरा में 45, बाजना में 40, आलोट में 35 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन, मॉल, जनरल स्टोर में काम करने वाले वर्कर दोनों डोज लगवाकर ही अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान यदि पाया गया कि वर्कर्स ने दोनों डोज नहीं लगाए गए तो दुकान, माल प्रतिष्ठान 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना अलग से लगेगा। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों निर्धारित लक्ष्य 60 हजा की पूर्ति के निर्देश दिए हैं, ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही है।

अस्पताल में प्रवेश के पहले पूछ रहे दोनों टीके लगे या न

टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नीत नए हथकंडे अपना रहा है। मांगलिक कार्यक्रमों के बाद अब अस्पताल में मरीज को लेकर आने वाले और उनसे मिलने के लिए आने वाले परिजनों से भी यह पूछा जा रहा हैं कि आपने कोविड वैक्सीन का पहला और दूसरा टीका लगवाया है या नहीं। यदि नहीं लगवाया हैं तो आप टीका लगवाकर ही घर जाए।

टीका लगवाकर ही घर जाए

बाल चिकित्सालय में मंगलवार को ऐसा ही कुछ नजर आया। स्वास्थ्य विभाग का अमला वेक्सीनेशन लिए यहां बैठा नजर आया। टीम ने यहां आने वाले मरीज के परिजनों को रोक कर पूछा कि उन्होने कोविड वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगवाया है या नहीं। कुछ लोगों ने जब दूसरा डोज नहीं लगवाने की कही तो कर्मचारियों द्वारा लगाया गया।

बाल चिकित्सालय टीकाकरण की इस पहल चलते शिविर में कई लोगों वैक्सीन लगी। अस्पताल में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के काम की सराहना भी की, जिस लाभ आमजन को मिल रह और जो लोग टीका नहीं लगव रहे थे, उन्हे आसानी से टीका लग गया।

नाले गंदगी से हुए लबालब, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा

रतलाम ■ राज न्यूज़ नेटवर्क

इन दिनों शहर में चारों और डेंगू का कहर व्याप्त है। लोग बीमारियों से जूझ रहे है। शहर के सभी नालों की सफाई एवं उन्हें पक्का बनाने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है किन्तु शास्त्रीनगर नालों को लेकर प्रशासन का द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है आज तक यहा के नालों की प्रशासन का एक भी नुमांइदा सुध लेने नही आया जबकि बारिश के दिनों में यहा घरों में पानी भर जाता है और बारिश के बाद तो नाले गंदगी से लबालब भरे पडे है। नालों की सफाई एवं निर्माण कार्यों को लेकर दावे खोखले साबित हो रहे है नगर निगमकी अनदेखी का खामियाजा क्षेत्रवासियों को बीमारियों के रूप में भुगतना पड रहा है।

बारिश के मौसम को विराम लगे हुए काफी समय हो गया है लेकिन शास्त्रीनगर स्थित नाला बरसाती गंदगी एवं पॉलीथिन से भरे पडे है । जगह-जगह कूड़े के ढेर पडे है। कई लोग बदबू और मच्छरों से परेशान है तथा संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे है। क्षेत्रवासियों में सदहल सफाई एवं व्यवस्था को लेकर नाराजगी हैं बरसात के दिनों में भी नालों की सफाई नही होने के कारण लोगो के घरों में पानी भर गया था। जिस कारण लोगो को काफी नुकसान हुआ है जिनसे अभी तक क्षेत्रवासी उभर नही पाये और दूसरी और शहर भर में मलेरिया, वायरल और डेंगू फैला हुआ है जिनसे क्षेत्रवासी पहले ही ग्रस्त है नगर निगम अधिकारी, सफाई निरिक्षक तथा सफाईकर्मी द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा

रहा है स्थिति यह है कि बरसात के पानी द्वारा बाहर आए कपडो के तथा पोलीथीन के पोटले नालो में अटके पडे है उनमें भारी गंदगी व्याप्त है जिस कारण नाले चोक हो गए है। इनके पीछे आने वाला पानी भी आगे नही जा पा रहा है और तो और सफाई कर्मियों ने तो हद ही कर दी है किगंदी नालियों की सफाई कर कूड्ा नालो में फेंक दिया जाता है और उन कूडे के ढेर को जानवरों द्वारा फैला दिया जाता है। गंदगी के कारण लोगों का सड्क से निकलना दूभर हो गया है । नगर निगम की लापरवाही लोगो के लिए परेशानी पैदा कररही है जिससे लोगो का जीना दुश्वार हो गया है । एक तरफतो डेंगू तथा संक्रामं बीमारियों का कहर है दूसरी और गंदगी औ बदबू के कारण भी बीमारियाँ फैल रही है शास्त्रीनगर स्थित धार्मिक स्थल के आसपास तो गंदगी का अंबार ही लगा हुआ है दर्शनार्थियों को मूह पर रूमाल रखकर निकलना पड रहा है। धार्मिक स्थल पर ही कचरे का ढेर जमा है सफाई कर्मी वही कचरा एकत्रित कर चले जाते है। वार्ड क्रमांक 33 शास्त्रीनगर के रहवासी एवं भारतीय जैनता पार्टी के वार्ड संयोजक संतोष कोलम्भकर ने चर्चा के दौरान बताया कि कई बार नगर निगम को लिखित शिकायत की गई है किन्तु आज तक कोई सुनवाई नही की गई यहां धार्मिक स्थल के अलावा विघालय भी है रोज आते जाते लोगो एव बच्चों को परेशानी का सामना करना पड रहा है जिस कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ गया है।

क्षैत्र के रहवासी प्रीयांशु बोबल, आशुतोष चौहान,सुधा मालपानी,अमित रायकवार, प्रदीप राठौर, रवि मालपानी,चंद्रशेखर शर्मा आदि ने बताया कि जहाँ मन होता है वहा सफाईकर्मी कुडे का ढेर लगा देते है चारों और वार्ड में व्यवस्थित सफाई व्यवयस्था को देखने वाला कोई नही है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नही हो रही है और कहा जाता है कि सफाई कर्मी व्यापक संख्या में उपलब्ध नही है जबकि दरोगा के अधीन 15 से 20 सफाईकर्मी है। साथ ही कुछ जगह तो सफाईकर्मी के विवादों के कारण भी वहाँ की सफाई नही हो पाती है।

राज एक्सप्रेस के रिपोंटर से चर्चा के दौरान शास्त्रीनगर नालो के बारे में नगर निगम अधिकारी ए.पी.सिंह ने नालों की सफाई का तत्काल आश्वासन देने के साथ ही सबंधित दरोगा को हटाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही नालों का पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का भी आश्वासन दिया जो लाकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। २।५

वैक्सीनेशन कार्य में धीमी गति पर नाराजगी जताई

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में अधिकारी पर कार्रवाई के दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कलेक्टर ने कोविड-वैक्सीनेशन कार्य में आलोट एसडीएम को छोड़कर शेष सभी एसडीएम की धीमी गति और लचर कार्य प्रणाली पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही सैलानी खंड चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के सेकंड डोज की लक्ष्यपूर्ति के संबंध में समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य पूर्ति के लिए माइक्रो प्लान तैयार करते हुए प्रतिदिन समीक्षा करें।

तहसीलदारों को जिम्मेदार माना जाएगा- बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। राजस्व विभाग की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि माह नवंबर में जारी की गई रेकिंग में राजस्व विभाग को 75 अंक प्राप्त नहीं हुए तो संबंधित तहसीलदारों को जिम्मेदार माना जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जनसुनवाई आवेदनों का निराकरण नहीं हो रहा है- कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें हमारा दायित्व है कि आवेदकों की शिकायतों, समस्याओं का निराकरण समय सीमा में संवेदनशीलता के साथ किया जाए। परंतु देखने में आया है कि कुछ एक अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश अधिकारियों द्वारा समय सीमा में जनसुनवाई आवेदनों का निराकरण नहीं किया जा रहा है यह गलत है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों का सिस्टम से भरोसा टूटे नहीं, उनके आवेदनों, शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित रूप से करना ही होगा।

उद्योगपतियों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं बताईं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

औद्योगिक क्षेत्र की बिजली, पानी और सड़क की समस्या से परेशान उद्योगपतियों ने एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा को समस्याएं बताई। मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक वरुण पोरवाल ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं बताई। बिजली सप्लाई के लिए सब स्टेशन की स्थापना की जाना चाहिए। केबल और डीपी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। विधायक काश्यप, नमकीन क्लस्टर अध्यक्ष आशीष पालीवाल, साड़ी विक्रेता संघ अध्यक्ष संजय चाणोदिया, कपड़ा व्यापारी संघ अध्यक्ष कमल कटारिया ने भी साड़ी व टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापना की मांग उठाई। नूतन लालन, नीलेश सेलोत, रूपेश बरबेटा, अर्पित लुनिया, प्रखर डफरिया आदि मौजूद रहे।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का नवम्बर माह का वेतन रोका

रतलाम। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर स्पॉट फाईन किये जाने की कार्यवाही में स्पॉट फाईन दल द्वारा निरंतर कार्य में लापरवाही बरतने व प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दल के समस्त कर्मचारियों का माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। खुले में गंदगी करने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर स्पॉट फाईन दल को प्रतिदिन 500 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन किये जाने का लक्ष्य दिया गया है किन्तु दल के कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाकर स्पॉट फाईन की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस हेतु दल के कर्मचारियों को कई बार नोटिस भी दिया गया साथ ही वेतन भी काटा गया फिर भी इनके कार्य में कोई सुधार नहीं पाया जा रहा है। दुकानों, घरों के सामने व खुले स्थानों पर कचरे एवं गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे है इस हेतु स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी विराट मेहरा, मनोज झांझोट माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

नाले गंदगी से हुए लबालब, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

इन दिनों शहर में चारों और डेंगू का कहर व्याप्त है। लोग बीमारियों से जूझ रहे है। शहर के सभी नालों की सफाई एवं उन्हें पक्का बनाने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है किन्तु शास्त्रीनगर नालों को लेकर प्रशासन का द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है आज तक यहा के नालों की प्रशासन का एक भी नुमांइदा सुध लेने नही आया जबकि बारिश के दिनों में यहा घरों में पानी भर जाता है और बारिश के बाद तो नाले गंदगी से लबालब भरे पडे है। नालों की सफाई एवं निर्माण कार्यो को लेकर दावे खोखले साबित हो रहे है नगर निगमकी अनदेखी का खामियाजा क्षेत्रवासियों को बीमारियों के रूप में भुगतना पड रहा है।

बारिश के मौसम को विराम लगे हुए काफी समय हो गया है लेकिन शास्त्रीनगर स्थित नाला बरसाती गंदगी एवं पॉलीथिन से भरे पडे है । जगह-जगह कूड़े के ढेर पडे है। कई लोग बदबू और म%छरों से परेशान है तथा संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे है। क्षेत्रवासियों में सदहाल सफाई एवं व्यवस्था को लेकर नाराजगी हैं बरसात के दिनों में भी नालों की सफाई नही होने के कारण लोगो के घरों में पानी भर गया था। जिस कारण लोगो को काफी नुकसान हुआ है जिनसे अभी तक क्षेत्रवासी उभर नही पाये और दूसरी और शहर भर में मलेरिया, वायरल और डेंगू फैला हुआ है जिनसे क्षेत्रवासी पहले ही ग्रस्त है नगर निगम अधिकारी, सफाई निरिक्षक तथा सफाईकर्मी द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा

रहा है स्थिति यह है कि बरसात के पानी द्वारा बाहर आए कपडो के तथा पोलीथीन के पोटले नालो में अटके पडे है उनमें भारी गंदगी व्याप्त है जिस कारण नाले चोक हो गए है। इनके पीछे आने वाला पानी भी आगे नही जा पा रहा है और तो और सफाई कर्मियों ने तो हद ही कर दी है किगंदी नालियों की सफाई कर कूड़ा नालो में फेंक दिया जाता है और उन कूडे के ढेर को जानवरों द्वारा फैला दिया जाता है। गंदगी के कारण लोगों का सडक से निकलना दूभर हो गया है । नगर निगम की लापरवाही लोगो के लिए परेशानी पैदा कररही है जिससे लोगो का जीना दुश्वार हो गया है । एक तरफतो डेंगू तथा संक्रामं बीमारियों का कहर है दूसरी और गंदगी औ बदबू के कारण भी बीमारियाँ फैल रही है शास्त्रीनगर स्थित धार्मिक स्थल के आसपास तो गंदगी का अंबार ही लगा हुआ है दर्शनार्थियों को मूह पर रूमाल रखकर निकलना पड रहा है। धार्मिक स्थल पर ही कचरे का ढेर जमा है सफाई कर्मी वही कचरा एकत्रित कर चले जाते है। वार्ड क्रमांक 33 शास्त्रीनगर के रहवासी एवं भारतीय जैनता पार्टी के वार्ड संयोजक संतोष कोलम्बकर ने चर्चा के दौरान बताया कि कई बार नगर निगम को लिखित शिकायत की गई है किन्तु आज तक कोई सुनवाई नही की गई यहाँ धार्मिक स्थल के अलावा विघालय भी है रोज आते जाते लोगो एव ब%चों को परेशानी का सामना करना पड रहा है जिस क्करण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ गया है।

क्षैत्र के रहवासी प्रीयांशु बोबल, आशुतोष चौहान,सुधा मालपानी,अमित रायकवार, प्रदीप राठौर, रवि मालपानी,चंद्रशेखर शर्मा आदि ने बताया कि जहाँ मन होता है वहा सफाईकर्मी कुडे का ढेर लगा देते है चारों और वार्ड में व्यवस्थित सफाई व्यवयस्था को देखने वाला कोई नही है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नही हो रही है और कहा जाता है कि सफाई कर्मी व्यापक संख्या में उपलब्ध नही है जबकि दरोगा के अधीन 15 से 20 सफाईकर्मी है। साथ ही कुछ जगह तो सफाईकर्मी के विवादों के कारण भी वहाँ की सफाई नही हो पाती है।

राज एक्सप्रेस के रिपोंटर से चर्चा के दौरान शास्त्रीनगर नालो के बारे में नगर निगम अधिकारी ए.पी.सिंह ने नालों की सफाई का तत्काल आश्वासन देने के साथ ही सबंधित दरोगा को हटाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही नालों का पक्का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का भी आश्वासन दिया जो लाकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। २।५